# निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 09/2022
दायरा दिनांकः–14.02.2022
निर्णय दिनांकः– 5.11.24

## उनवान

1. अमरलाल आयु 65 वर्ष पुत्र मोतीलाल जाति मीना निवासी ग्राम कडैयाचोर
2. गोपाल लाल आयु 58 वर्ष पुत्र मोतीलाल जाति मीना निवासी ग्राम कडैयाचोर
3. भैरूलाल आयु 55 वर्ष पुत्र मोतीलाल जाति मीना निवासी ग्राम कडैयाचोर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. श्यामलाल आयु 60 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति मीना निवासी ग्राम मजरा खेरली भूलोन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. रामलाल आयु 62 वर्ष पुत्र अमरलाल जाति मीना निवासी ग्राम मजरा खेरली भूलोन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. रामभजन आयु 32 वर्ष पुत्र श्यामलाल जाति मीना निवासी ग्राम मजरा खेरली भूलोन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. मोहनप्रसाद आयु 35 वर्ष पुत्र श्यामलाल जाति मीना निवासी ग्राम मजरा खेरली भूलोन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. ललित आयु 28 वर्ष पुत्र श्यामलाल जाति मीना निवासी ग्राम मजरा खेरली भूलोन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. सीताराम आयु 40 वर्ष पुत्र रामलाल जाति मीना निवासी ग्राम मजरा खेरली भूलोन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
7. कुलदीप आयु 30 वर्ष पुत्र रामलाल जाति मीना निवासी ग्राम मजरा खेरली भूलोन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 5.11.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भवर सिंह जादौन – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण ने उक्त उनवानी प्रकरण का एक वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जिसमे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी पूरी आशा है। प्राथीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 8 की खसरा नम्बर 544/1 की रकया 04 बीघा 01 बिस्वा खसरा नम्बर 545 की रकबा 09 बीघा खसरा नम्बर 546 की रकबा 02 बीघा 11 विस्वा, खसरा नम्बर 549 की



उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा कुल कित्ता 04 की रकबा 23 बीघा 05 बिस्वा भूमि वाके माल भूलोन तहसील छबडा जिला बारां (राज०) में स्थित है जो दर्ज जमाबंदी चली आ रहीं है, जिसकी वर्तमान जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण गत् कई वर्षों से अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु वर्तमान में प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि का उपजाऊ पन देखकर अप्रार्थीगण के मन में बदंयाति आ गयी है, प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण की भूमि पास पास में होने के कारण अप्रार्थीगण ने जबरन लठद् के बल पर भूमि खसरा संख्या 549 की रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा वाके माल भूलोन तहसील छबडा की उत्तर दिशा की भूमि मेड तोडकर 13 बिस्या भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है। जिसका की उन्हें कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीगण ने अपने उद्देश्य की पूर्ति में प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 549 की रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा भूमि की उत्तर दिशा की भूमि की नेड तोडकर 13 बिस्या भूमि को जबरन हाक लिया है तथा प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से अपने कब्ते कारत की उक्त भूमि को हाकने से मना किया तो अप्रार्थीगण ने प्राथीगण से लडाई झगडा किया और मारपीट करने पर उतारू हो गये और उन्होंने प्राथर्थीगण को धमकी दी की वह जबरन लठद् के बल पर पार्थीगण की उक्त भूमि पर कब्जा करके रहेंगे और जो कोई उनके इस उद्देश्य में बाधा उत्पन्न करेगा वह उसके हाथ पैर काट के जान से खत्म कर देगे। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण की भूमि पास-पास स्थित होने के कारण तथा बीच मे मेड होने पर भी अप्रार्थीगण हर वर्ष प्रार्थीगण की भूमि की मेड तोडकर जबरन हाक देते है इस कारण प्रार्थीगण भूमि खसरा संख्या 549 की रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा भूमि वाके माल भूलोन की पैमाईश करवाकर सीमा ज्ञान करवाकर पत्थर गढी कराना चाहते है ताकि भविष्य में भूमि की सीमा ज्ञान बाबत् प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण के मध्य किसी प्रकार कोई विवाद ना हो तथा सीमा ज्ञान के अनुसार प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 549 की रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा वाके माल भूलोन पर प्रार्थीगण कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है तथा अप्रार्थीगण जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण दिनांक 25.01.2022 को उत्पन्न हुआ जबकि अप्रार्थीगण 1 ता 7 ने प्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी एव कब्जे काश्त भूमि खसरा संख्या 549 की रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा, वाके माल भूलोन तहसील छबडा जिला बारां (राज०) के उत्तर दिशा की भूमि की मेड तोडकर 13 बिस्वा भूमि को जबरन हाक तथा अप्रार्थीगण द्वारा उनसे अपनी भूमि को हाकने से मना किया तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण से लडाई डागडा किया और हाथ पैर काटकर जान से खत्म करने और जबरन कब्जा करने की धमकी दी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 22.11.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2074-77 खाता संख्या 8 पेश की गई। एवं प्रार्थीगण द्वारा अपना स्वंय का शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम भूलोन तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही हे अप्रार्थीगण की भूमि भी प्रार्थी की भूमि के पास है अप्रार्थीगण के मन में प्रार्थी की भूमि उपजाउ देखकर बदयान्ति आ गई है तथा प्रार्थी की



उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

की मेड तोडकर कब्जा अप्रार्थीगण जबरन कब्जा करने पर आमादा है तथा कुछ भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है प्रार्थी को मार पीटने पर उतारू है प्रार्थी अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवा कर पत्थर गढी कराना चाहते है ताकि भविष्य में कोई विवाद पैदा ना हो। अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 8 के अनुसार प्रार्थीगण का नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है प्रतिवादी/अप्रार्थीगण विवादित आराजी के सह खातेदार कृषक नही है प्रार्थीगण खातेदार कृषक है प्रार्थीगण की भूमि पर अप्रार्थीगण को कब्जा करने का कोई अधिकार नही है प्रथम दृष्टया व सुविधा का सन्तुलन है प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अपरिमित क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

## :: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम भूलोन तहसील छबडा के खसरा नम्बर 549 रकबा 7.13 बीघा पर प्रार्थीगण के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। ऐसा कृत्य ना तो स्वंय करें ओर ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा